



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आश्विन 1932 (श०)

(सं० पटना 684) पटना, सोमवार, 27 सितम्बर 2010

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

27 सितम्बर 2010

सं० बी१-३-६८ / 2010-२१—बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2010 के अवसर पर 31—हरलाखी, 32—बेनीपट्टी, 33—खजौली, 34—बाबूबरही, 35—बिस्फी, 36—मधुबनी, 37—राजनगर (अ.जा.), 38—झांझारपुर,, 39—फुलपरास, 40—लौकहा, 41—निमली, 42—पिपरा, 43—सुपौल, 44—त्रिवेणीगंज(अ.जा.), 45—छातापुर,, 46—नरपतगंज, 47—रानीगंज(अ.जा.), 48—फारबिसगंज, 49—अररिया, 50—जोकीहाट, 51—सिकटी, 52—बहादुरगंज, 53—ठाकुरगंज, 54—किशनगंज, 55—कोचाधामन, 56—अमौर, 57—बायसी, 58—कम्बा, 59—बनमनखी(अ.जा.) ,60—रूपौली, 61—धमदाहा, 62—पूर्णिया, 63—कटिहार, 64—कदवा, 65—बलरामपुर, 66—प्राणपुर, 67—मनिहारी (अ.ज. जा.), 68—बरारी, 69—कोड़ा (अ.जा.), 70—आलमनगर, 71—बिहारीगंज, 72—सिहेंश्वर (अ.जा.), 73—मधेपुरा, 74—सोनबरसा (अ.जा.), 75—सहरसा, 76—सिमरी बखितयारपुर, एवं 77—महिषी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या—बी१-३-६८ / 2010-२० दिनांक 27 सितम्बर 2010 एवं भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या—४६४ / बिहार—वि.स./ 2010 दिनांक 27 सितम्बर 2010 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
आर० के० प्रसाद,
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
—सह—सरकार के उप सचिव।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

27 सितम्बर 2010

सं0—बी1—3—68 / 2010—20—यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 172 के खण्ड 1 के उपबन्धों के अनुसार बिहार राज्य की विधान सभा, यदि पहले हीं विघटित नहीं कर दी जाती है तो, 27 नवम्बर, 2010 को सम्मिलित करते हुए इस तारीख तक बनी रहेगी और उसके पश्चात् उसकी अवधि के अवसान पर विघटित मानी जाएगी; और

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (1) के निबंधनों के अनुसार बिहार राज्य की नई विधान सभा के गठन के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन कराया जाना है;

अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की है, बिहार राज्य के राज्यपाल एतदद्वारा नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम और तद्वीन बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार बिहार राज्य की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें:

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम
31—हरलाखी
32— बेनीपट्टी
33—खजौली
34—बाबूबरही
35—बिस्फी
36—मधुबनी
37—राजनगर (अ.जा.)
38—झाँझारपुर
39—फुलपरास
40—लौकहा
41—निर्मली
42—पिपरा
43—सुपौल
44—त्रिवेणीगंज (अ.जा.)
45—छातापुर,
46—नरपतगंज
47—रानीगंज (अ.जा.)
48—फाराबिसगंज
49—अररिया
50—जोकीहाट
51—सिकटी
52—बहादुरगंज
53—ठाकुरगंज
54—किशनगंज

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम
55—कोचाधामन
56—अमौर
57—बायसी
58—कसबा
59—बनमनखी (अ.जा.)
60—रुपौली
61—धमदाहा
62—पूर्णिया
63—कटिहार
64—कदवा
65—बलरामपुर
66—प्राणपुर
67—मनिहारी (अ.ज.जा.)
68—बरारी
69—कोढ़ा (अ.जा.)
70—आलमनगर
71—बिहारीगंज
72—सिहेंश्वर (अ.जा.)
73—मधेपुरा
74—सोनबरसा (अ.जा.)
75—सहरसा
76—सिमरी बरिजियारपुर
77—महिंपी

राजयपाल के आदेश से व उनके नाम से,
 (ह०) अस्पष्ट,
 बिहार सरकार के मुख्य सचिव।

The 27th September 2010

No. - B1-3-68/2010-20—WHEREAS, in accordance with the provisions of clause (1) of Article 172 of the Constitution of India, the existing Legislative Assembly of the State of Bihar, unless sooner dissolved, shall continue up to and including the 27th November, 2010 and shall, thereafter, stand dissolved on the expiration of its duration; and

WHEREAS, in terms of sub-section (1) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), a General Election has to be held for the purpose of constituting a new Legislative Assembly of the State of Bihar ;

NOW, THEREFORE, as recommended by the Election Commission of India, in pursuance of sub-section (2) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Governor of the State of Bihar is hereby pleased to call upon each of the Assembly Constituencies of the State of Bihar specified in the Table below to elect members to the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder:

TABLE

Number and name of the Assembly Constituency
31-Harlakhi
32-Benipatti
33-Khajauli
34-Babubarhi
35-Bisfi
36-Madhubani
37-Rajnagar(SC)
38-Jhanjharpur
39-Phulparas
40-Laukaha
41-Nirmali
42-Pipra
43-Supaul
44-Triveniganj(SC)
45-Chhatapur
46-Narpatganj
47-Raniganj(SC)
48-Forbesganj
49-Araria
50-Jokihat

Number and name of the Assembly Constituency
51-Sikti
52-Bahadurganj
53-Thakurganj
54-Kishanganj
55-Kochadhaman
56-Amour
57-Baisi
58-Kasba
59-Banmankhi(SC)
60-Rupauli
61-Dhamdaha
62-Purnia
63-Katihar
64-Kadwa
65-Balrampur
66-Pranpur
67-Manihari(ST)
68-Barari
69-Korha(SC)
70-Alamnagar
71-Bihariganj
72-Singheshwar(SC)
73-Madhepura
74-Sonbarsha(SC)
75-Saharsa
76-Simri Bakhtiarpur
77-Mahishi

By Order and in the name of Governor,
 Sd/-Illegible,
Chief Secretary to the Government of Bihar.

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 सितम्बर, 2010, 5 अश्विन, 1932 (शक)

सं 464/बिहार-वि.स./2010—यतः, बिहार राज्य के राज्यपाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन जारी की गई, दिनांक **27 सितम्बर, 2010** को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में यथा विनिर्दिष्ट बिहार राज्य के प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से यह अपेक्षा करता है कि वे उक्त अधिनियम और तद्वीन बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान सभा के गठन के प्रयोजन के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 तथा 56 के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में :

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख	:	4 अक्टूबर, 2010 (सोमवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा तारीख	:	5 अक्टूबर, 2010 (मंगलवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अन्तिम तारीख	:	7 अक्टूबर, 2010 (वृहस्पतिवार)
(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	:	21 अक्टूबर, 2010 (वृहस्पतिवार)
(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	:	26 नवम्बर, 2010 (शुक्रवार)

नियत करता है; और

(आ) नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में दिखाए गए समय को ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को स्तम्भ (1) में दिखाए गए तत्थानी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा:-

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की कम संख्या व नाम	मतदान का समय
1	2
31—हरलाखी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
32—बेनीपट्टी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
33—खजौली	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
34—बाबूबरही	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
35—बिस्फी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
36—मधुबनी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
37—राजनगर (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
38—झांझारपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
39—फुलपरास	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
40—लौकहा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
41—निर्मली	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
42—पिपरा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
43—सुपौल	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
44—त्रिवेणीगंज (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
45—छातापुर,	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
46—नरपतगंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
47—रानीगंज (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
48—फारबिसगंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	मतदान का समय
1	2
49—अररिया	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
50—जोकीहाट	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
51—सिकटी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
52—बहादुरगंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
53—ठाकुरगंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
54—किशनगंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
55—कोचाधामन	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
56—अमौर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
57—बायसी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
58—कसबा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
59—बनमनखी (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
60—रूपौली	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
61—धमदाहा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
62—पूर्णिया	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
63—कटिहार	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
64—कदवा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
65—बलरामपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
66—प्राणपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
67—मनिहारी (अ.ज.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
68—बरारी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
69—कोढ़ा (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
70—आलमनगर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
71—बिहारीगंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
72—सिहेंश्वर (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
73—मधेपुरा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
74—सोनबरसा (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
75—सहरसा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
77—महिपी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
76—सिमरी बाखितयारपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक

आदेश से,
केंद्रीय कुमार,
सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi- 110001, Dated 27th September, 2010,
5 Asvina, 1932(Saka)*

NO. 464/BR-LA/2010:- WHEREAS, the Governor of the State of Bihar has, by notification issued under sub-section (2) of section 15 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951), published in the official Gazette of the State on the 27th September, 2010, been pleased to call upon each of the Assembly Constituencies in the State of Bihar, as specified in column (1) of the Table below, to elect members of the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder ;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

- (A) appoints, with respect to the said election from each of the Assembly Constituencies specified in the said Table :-
 - (a) the 4th October, 2010 (Monday) , as the last date for making nominations;
 - (b) the 5th October, 2010 (Tuesday) , as the date for scrutiny of nominations;
 - (c) the 7th October, 2010 (Thursday), as the last date for withdrawal of candidatures;
 - (d) the 21st October, 2010 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
 - (e) the 26th November, 2010 (Friday), as the date before which the election shall be completed; and
- (B) fixes the hours, as shown in column (2) of the Table below , as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, in the corresponding constituency shown in column (1) of the said Table :

TABLE

Number and name of the Assembly Constituency	Hours of Poll
1	2
31-Harlakhi	7.00 AM to 5.00 PM
32-Benipatti	7.00 AM to 5.00 PM
33-Khajauli	7.00 AM to 5.00 PM
34-Babubarhi	7.00 AM to 5.00 PM
35-Bisfi	7.00 AM to 5.00 PM
36-Madhubani	7.00 AM to 5.00 PM
37-Rajnagar(SC)	7.00 AM to 5.00 PM
38-Jhanjharpur	7.00 AM to 5.00 PM
39-Phulparas	7.00 AM to 5.00 PM
40-Laukaha	7.00 AM to 5.00 PM
41-Nirmali	7.00 AM to 5.00 PM
42-Pipra	7.00 AM to 5.00 PM

Number and name of the Assembly Constituency	Hours of Poll
1	2
43-Supaul	7.00 AM to 5.00 PM
44-Triveniganj(SC)	7.00 AM to 5.00 PM
45-Chhatapur	7.00 AM to 5.00 PM
46-Narpatganj	7.00 AM to 5.00 PM
47-Raniganj(SC)	7.00 AM to 5.00 PM
48-Forbesganj	7.00 AM to 5.00 PM
49-Araria	7.00 AM to 5.00 PM
50-Jokihat	7.00 AM to 5.00 PM
51-Sikti	7.00 AM to 5.00 PM
52-Bahadurganj	7.00 AM to 5.00 PM
53-Thakurganj	7.00 AM to 5.00 PM
54-Kishanganj	7.00 AM to 5.00 PM
55-Kochadhaman	7.00 AM to 5.00 PM
56-Amour	7.00 AM to 5.00 PM
57-Baisi	7.00 AM to 5.00 PM
58-Kasba	7.00 AM to 5.00 PM
59-Bannarkhi(SC)	7.00 AM to 5.00 PM
60-Rupauli	7.00 AM to 5.00 PM
61-Dhamdaha	7.00 AM to 5.00 PM
62-Purnia	7.00 AM to 5.00 PM
63-Katihar	7.00 AM to 5.00 PM
64-Kadwa	7.00 AM to 5.00 PM
65-Balrampur	7.00 AM to 5.00 PM
66-Pranpur	7.00 AM to 5.00 PM
67-Manihari(ST)	7.00 AM to 5.00 PM
68-Barari	7.00 AM to 5.00 PM
69-Korha(SC)	7.00 AM to 5.00 PM
70-Alamnagar	7.00 AM to 5.00 PM
71-Bihariganj	7.00 AM to 5.00 PM

Number and name of the Assembly Constituency	Hours of Poll
1	2
72-Singheshwar(SC)	7.00 AM to 5.00 PM
73-Madhepura	7.00 AM to 5.00 PM
74-Sonbarsha(SC)	7.00 AM to 5.00 PM
75-Saharsa	7.00 AM to 5.00 PM
77-Mahishi	7.00 AM to 5.00 PM
76-Simri Bakhtiarpur	7.00 AM to 3.00 PM

By Order,
K. AJAY KUMAR,
Secretary, Election Commission of India.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 684-571+300-३०८०८०।
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>